IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, August 2025
Impact Factor: 7.67

''सूचना का अधिकार'' 2005 अवधारणा और इसका महत्व

डॉ. कुसुम भदौरिया
प्रोफेसर एण्ड एचओडी
डिपार्टमेन्ट ऑफ पोलिटिकल साइन्स
शासकीय एम.एल.बी कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.)
कंचन सिंह नगेल
शोध छात्र
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

शोध–सार

सूचना का अधिकार (आरटीआई), सभ्य मानव जगत में लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा अधिकार है जो सरकारी क्रिया–कलापों, प्रशासनिक निर्णयों, योजनाओं आदि के विषय में नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कार्यों, योजनाओं, निर्णयों को आम जनता तक सरलता से पहुँचाये। किन्तु लालफीताशाही, तानाशाही, सरकारी कार्यों में लेटलतिफी के कारण आम–जनता को मानिकस और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गई है। आज राजनैतिक इच्छाशक्ति के कारण ही देश आर्थिक और वैश्विक उन्नति कर रहा है इसलिए प्रत्येक कार्यों की समय–सीमा में कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की है। आम जनता को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है।

प्रस्तावना–

सूचना का अधिकार एक अधिनियम है। भारत सरकार की संसद में 2005 में इसे पारित किया गया। जिसे 12 अक्टूबर 2005 में इसे पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

बीज–शब्द–

सुशासन, अवधारणा, अधिकार, सूचना, भ्रष्टाचार, जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रशासनिक कार्य, लालफीताशाही, लोकतंत्र आदि।

सूचना का अधिकार आशय– सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य की ओर शासन प्रणाली की आम जना के लिए सार्वजनिक करता है। समाज और देश का प्रत्येक नगारिक अपनी चुनी हुई सरकार से अपेक्षा करता है कि वह पूरी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठता के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी।

सूचना का अधिकार – परिभाषा –

सूचना का अधिकार–2005 के अन्तर्गत धारा 4 की उपधारा (1) धारा छ की उपधारा (1) धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध संवैधानिक रूप से प्रभावशील है। इस

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, August 2025 Impact Factor: 7.67

धाराओं के अन्तर्गत नागरिकों को यह अधिकार है कि वह सरकारी कार्यालियों से सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। केन्द्रीय सूचना आयोग से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है। ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडों सम्बंधी समाग्री और किसी प्राइवेट निकास से सम्बंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामाग्री अभिप्रेत हैं।'' (1)

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नागरिक सरकारी दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, प्रमाणित प्रतिलिपि, नमुने, प्रिंटआउट आदि प्राप्त कर सकता है।

सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।''(2)

अर्थात् सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थान आदि विभाग सूचना के अधिकार में शामिल हैं।

सूचना का अधिकार का ढांचा

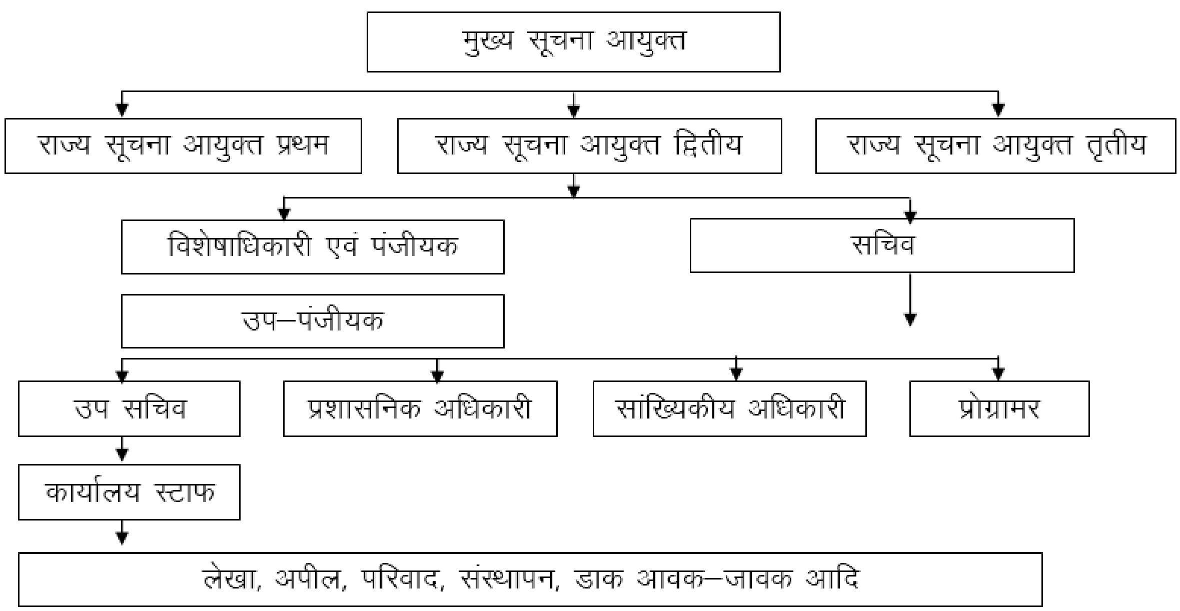

सूचना का अधिकार–उद्देश्य–

1. सरकार की कार्य–शैली और आम–नागरिकों के बीच पारदर्शिता बनाये रखने का प्रयास करना।
2. सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति जवाबदेही तय करना।
3. नागरिको को सशक्त बनाना, उन्हें एक जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देना।
4. सरकार को सुशासन के प्रति जिम्मेदार बनाना।
5. लेटलतीफी और भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास सरकारी कर्मचारियों की मनमानी को रोकना।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, August 2025 Impact Factor: 7.67

अवधारण

भारतीय उपमहाद्वीप सदियों तक विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त और अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह सामाजिक–राजनैतिक आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया। अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाकर यहाँ की जनता और प्राकृतिक संसाधनों का जमकर शोषण किया। एक समय भारत सोने की चिड़ियाँ कहलाता था जिसे अंग्रेजों ने इतना लूटा की 1947 आते–आते हमारा देश पूरी तरह से कंगाल हो गया। अंग्रेजों और देशी रियासतों की गुप्त संधि ने भी भारतीय नागरिकों को काफी हानि पहुँचाई और प्राकृतिक संसाधनों को क्षतिग्रस्त किया। अंग्रेजों ने प्रत्येक भारतीयों पर किसी न किसी प्रकार का कर लगा रखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिकों में असंतोष के साथ–साथ टेक्स बचाने के लिए भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के सरकारी कर्मचारी जो मूलतः भारतीय थे उन्होंने सरकारी कामकाओं में काफी' हेरा–फेरी की थी। आम नागरिक इन क्लर्क, छोटे कर्मचारी, नाकेदारों, सामेतों आदि से काफी त्रस्त हो गया था। चूंकि कानून व्यवस्था और न्यायलय, पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर अंग्रेजों का गुलाम था इसलिए सरकारी कर्मचारी भ्ररुराचार का पर्याय बन गये थे।'' अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक कार्यों को गोपनीय रखने के लिए 'शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया, जिसके अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि वह अपने प्रशासनिक क्रिया– कलापों की किसी की सूचना नहीं देगी तथा सूचना को गोपनीय रख सकेगी।''3

अंग्रेजों ने लगभग दो सौ पचास साल भारत में निरंकुश शासन किया और देशी रियासतों ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया। इसी कारण आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में निरंकुशता और लालफीताशाही देखने को मिलती है। वर्ष 1947 के पश्चात् भारतीय समाज राजनैतिक रूप से अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ और देश में लोक प्रालिक सरकार का गठन हुआ। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तब से ही सूचना के अधिकार की मांग जनता के लिए की जाने लगी थी। ''सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 के शुरूआत में 'उत्तरप्रदेश सरकार बनाम राज नारायण' से शुरू हुई।''(4)

नागरिकों के सजगता का परिणाम सुखद रहा। न्यायलय ने सूचना के अधिकार को अपने संज्ञान में लिया और संवैधानिक अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (ए) के तहत अभिव्यक्ति कीं स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया गया।

सूचना के अधिकार की मांग विधिवत अनांदोलन के रूप में 1990 के दशक में राजस्थान से प्रारम्भ हुई। किसान मजदूर शक्ति संगठन ने आंदोलन के रूप में आम जनता के लिए सूचना के अधिकार की कानूनन व संवैधानिक तौर से मांग की थी। ''वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया।

सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी वर्ष 2002 में प्राप्त हुई। तत्पश्चात् ''यू.पी.ए. की सरकार ने न्युनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदो तथा पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अन्ततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू–कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया।'' (6)

इस सूचना के अधिकार में किसी लोक प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, अन्य सामाग्री प्रचलित कानून के अन्तर्गत प्राप्त किये जा सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–प्रमुख प्रविधान–

1. इसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएँ व शिक्षण संस्थान आदि विभाग इसमें शामिल हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, August 2025
Impact Factor: 7.67

2. प्रत्येक सरकारी विभाग में सूचना अधिकारी बनाए गए हैं।
3. प्रत्येक जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह तीस दिवस के अंदर सूचना उपलब्ध करवाये।
4. लोक सूचना अधिकारी को जन सूचनाएँ अनिवार्य रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी।
5. सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस दस रुपए निर्धारित है।
6. सूचना के अधिकार के तहत योगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना के लिए राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग से शिकायत की जा सकती है।
7. तीस दिवस के भीतर जन सूचना आवेदक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
8. जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। सूचना नहीं देने का विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है।
9. यदि अपील कर्त्ता प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास करनी पड़ती है।
10. जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता हैं उसे आप आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता।

वैश्विक स्तर पर सूचना का अधिकार–

सूचना का अधिकार प्रजातांतिक देशों के लिए प्रशासनिक स्तर पर सुधार का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। विश्व में स्वीडन ऐसा पहला देश है जहाँ संविधान में सूचना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। स्वीडन में सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से निशुल्क प्राप्त है। इसके बाद फ्रांस, मेक्सिको, कनाड़ा देश आते है जहाँ पर नागरिकों को आसान तरिके से सूचना प्रदत्त की जाती है। कनाड़ा, फ्रांस में पंद्रह दिवस के भीतर सूचना प्रदान करने की बाध्यता है। भारत में जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घण्टे में सूचना दिये जाने का प्रावधान है। सूचना उपलब्ध कराने के मामले में हम देखते है कि–

1. स्वीडन किसी भी माध्यम से एक फौरन सूचना उपलब्ध कराने वाले देश है, जो बेबसाइट पर सूचना प्रदान करता है।
2. कनाड़ा तथा फ्रांस अपने नागरिको को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं।
3. भारत में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, किन्तु फिर भी 30 दिवस के भीतर सूचनादाता को सूचना की प्रति (फोटोकापी) उपलब्ध कराता है।
4. भारत और कनाड़ा में सूचना आयुक्त, फ्रांस में सवैधानिक अधिकारी, मेक्सिकों में 'द नेशनल ऑन एक्सेस टू पब्लिक इन्फारमेशन'' तथा स्वीडन में न्यायलय में अपील व शिकायतों का निपटारा होता है।

गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधान–

1. स्वीडन में गोपनीयता एवं पब्लिक रिकार्ड एक्ट – 2002
2. कनाड़ा में मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेण्ट इन्फारमेशन होल्डिंग – 2003,
3. फ्रांस में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट – 1978,
4. भारत में राष्ट्रीय, आन्तरिक व ब्राह्मय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 में सूचना रोक सम्बंधित प्रावधान है।

हम देखते है कि सूचना का अधिकार विश्व के लगभग 80 देशों में सतत् रूप से गतिशील है।'' हम देखते है कि स्वीडन सूचना के अधिकार कानून की जननी है, उससे भी महान स्वीडन का संविधान है जिसमें सूचना का अधिकार को अपने दामन में समेटे हुए लोकतंत्र को परिभाषित किया है।''(7)

सूचना के अधिकार का महत्त्व–

किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था जितनी पारदर्शी होगी उस देश के नागरिकों और देश का विकास तीव्र गति से होगा। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतांत्रिक देशों में न्यायलयीन और कानूनी व्यवस्था अत्यंत धीमी गति से चलती है जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारी और अनैतिकता मानसिक के लोग उठाते रहते है। लोकतांत्रिक देशों मै प्रशासन में उदासीनता और दोषपूर्ण शासन नीति के कारण आप नागरिकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सूचना का अधिकार प्रशासनिक व्यवस्था को दुरस्त रखता है और कर्मचारियों में कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी का बोध भी कराता है।
सूचना के अधिकार से निम्न लाभ प्रासंगिक है–

1. प्रशासनिक मनमानी, लेटलतिफी, लालफिताशाही से आम नागरिको को लाभ।
2. शासन व्यवस्था में कर्त्तव्यनिष्ठता की भावना का विकास।
3. कर्मचारियों में दायित्व बोध।
4. भ्रष्टाचार पर लगाए (वास्तव में देखा जाए तो प्रशासन के कार्य अत्यंत विस्तृत और दीर्घकालीन होते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी सरकारी कार्यों की नियमितता का खुद संचालन नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव होता है। अतः निचले स्तर पर कर्मचारी में भ्रष्टाचार की भावना भर जाती है जिसे सूचना के अधिकार के भय से दूर किया जा सकता है।
5. प्रशासन के सुशासन और व्यवहार कुशल संचालन के लिए इसके महत्तव को स्वीकारा जाने लगा है।
6. प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना जाता है।
7. सफल लोकतंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए सुचना का अधिकार 2005 आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप कारगार साबित हुआ है।
8. प्रगतिशील राष्ट्र और जागरूक जनता के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है।

शोध–प्रविधि एवं समंको का संग्रहण–

किसी भी शोध कार्य को करने के लिए एक निश्चित शोध–प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। हमने सूचना के अधिकार के विषय में कुछ प्रश्न तैयार किये है जिसे उत्तरदाताओं से साक्षात्कार हेतु पूछा गया है। शोधार्थी ने निदर्शन विधि द्वारा अशोकनगर जिले के 50 उत्तरदाताओं का चयन किया है जिसमें 25 महिला उत्तरदाता तथा 25 पुरुष उत्तरदाता है। इन प्रतिदर्शों को उनके आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, August 2025
Impact Factor: 7.67

तालिका क्र. 1

प्र. क्रं. 1 – आपकी आयु कितनी है ?

क्र.	आयु वर्ग	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20–30	10	40	15	6
2	30–40	09	36	05	2
3	40–50	06	2.4	05	2
4	20–30	10	40	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि पुरुष वर्ग 20–30 की संख्या 10, प्रतिशत 2.5 है। तथा महिला वर्ग 20–30 की संख्या 15 प्रतिशत 1. 66 है। इसी 40–50 वर्ग के पुरुष की संख्या 06, प्रतिशत 4.16 है तथा महिला 40–50 की संख्या 05 तथा प्रतिशत 5 है।

तालिका, क. 2

प्रश्न–2. आपका व्यवसाय क्या है?

क्र.	व्यवसाय	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी नौकरी	07	2.8	08	3.2
2	प्राइवेट नौकरी	10	4	06	2.4
3	अन्य	08	3.2	11	4.4
4	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी में काम करने वाले महिला–पुरुषों की संख्या क्रमशः महिला संख्या 8 प्रतिशत 3.2, पुरुष संख्या 7 प्रतिशत 2.8 है। जबकि प्राईवेट नोकरी कहने वाले पुरुषों की संख्या 10 प्रतिशत 4, महिला संख्या 6 तथा प्रतिशत 2.4 है। अन्य में पुरुषों की संख्या 8, प्रतिशत 3.2, महिला की संख्या 11 प्रतिशत 4.4 है।

तालिक–3

प्रश्न–3 क्यां आपको सूचना के अधिकार – 2005 की जानकारी है?

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	25	100	25	100
2	नहीं	–	–	–	–
3	कुल	25	100	25	100

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-28621

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, August 2025
Impact Factor: 7.67

उक्त सारणी से स्पष्ट है किं सभी उत्तरदाताओं को सूचना का अधिकार 2005 की जानकारी है।

तालिका क्र. 4

प्रश्न–4. क्या आपने सूचना के अधिकार–2005 का प्रयोग किया है?

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	05	02	03	1.2
2	नहीं	20	08	22	8.8
3	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट है सूचना के अधिकार – 2005 का प्रयोग पुरुषों ने संख्या 05 प्रतिशत 02 महिलाओं ने संख्या 03, प्रतिशत 12 किया है। जबकि सूचना का अधिकार – 2005 का प्रयोग नहीं करने वाले पुरुषों की संख्या 20, प्रतिशत 08 है। जबकि महिलाओं की संख्या 22, प्रतिशत 0.8 है।

तालिका – क्र. 5

प्रश्न–5 क्या आप यह मानते है कि सूचना के अधिकार से आप–नागरिको
को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है?

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	22	8.8	20	08
2	नहीं	03	1.2	05	02
3	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि हाँ कहने वाले पुरुषों की संख्या 22 तथा प्रतिशत 8.8 है। 'नहीं' कहने वाले पुरुषों की संख्या 03 प्रतिशत 1.2 है। महिलाओं की हाँ कहने वालौं की संख्या 20 प्रतिशत 8 है तथा नहीं कहने वालों की संख्या 5 प्रतिशत 2 है।

तालिका क्र. 6

प्रश्न–6 क्या लोकतंत्र में सूचना का अधिकार वर्तमान समय ठी आवश्यकता है

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	21	8.4	22	8.8
2	नहीं	04	1.6	03	1.2
3	कुल	25	50	25	50

सारणी से स्पष्ट होता है कि हाँ कहने वाले पुरुषों की संरच्या 21 तथा प्रतिशत 8.4 है, जबकि नहीं कहने वाले पुरुषों की संख्या 4 प्रतिशत 1.6 है। जबकि हाँ कहने वाली महिलाओं की संख्या 22 प्रतिशत 8.8 है तथा नहीं कहने वाली महिलाओं की संख्या 03 प्रतिशत 1.2 है।

तालिका क्र. 7

प्रश्न–7 क्या आप मानते हैं कि सूचना के अधिकार – 2005 से प्रशासनिक कार्य– व्यवस्था में बदलाव आया है

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉं	10	4	8	3.2
2	नहीं	8	3.2	8	3.2
3	थोड़ी बहुत	7	2.8	9	3.6
4	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि हाँ कहने वाले पुरुषों की संख्या 10 प्रतिशत 4 तथा नहीं कहने वाले पुरुषों की संख्या 8, प्रतिशत 3.2 तथा थोड़ा बहुत कहने वाले पुरुषों की संख्या 7 प्रतिशत 2.8 है। जबकि हाँ कहने वाली महिलाओं की संख्या 8, प्रतिशत 3.2, नहीं कहने वाली महिलाओं की संख्या 8 प्रतिशत 3.2 तथा थोड़ा बहुल कहने वाली महिलाओं की संख्या 9 प्रतिशत 3.6 है।

तालिका क्र. 8

प्रश्न–8. क्या आप यह मानते हैं कि सूचना के अधिकार–2005 से भ्रष्टाचार में कमी आई है।

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	07	2.8	09	3.6
2	नहीं	06	2.4	07	2.8
3	कुछ–कुछ	12	4.8	09	3.6
4	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि हाँ कहने वाले पुरुषों की संख्या 07 प्रतिशत 2.8, नहीं कहने वाले पुरुषों की खेर ख्या 6 प्रतिशत 2.4 तथा कुछ–कुछ कहने वाले पुरुषों की संख्या 12 प्रतिशत 4.8 है। इसी प्रकार हाँ कहने वाली महिलाओं की संख्या–9 प्रतिशत 3.6, नहीं कहने वाली महिलाओं की संख्या 07 प्रतिशत 2.8 तथा कुछ–कुछ कहने वाली पहिलाओं की संख्या 09 प्रतिशत 3.6 है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, August 2025
Impact Factor: 7.67

तालिया क्रं. 9

प्रश्न–9 क्या सूचना का अधिकार से सरकारी कार्य–प्रणाली में भय का वातावरण है।

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	16	6.4	15	6
2	नहीं	09	3.6	10	4
3	कुल	25	50	25	50

उक्त खारणी से स्पष्ट है कि हाँ कहने वालों की संख्या पुरुष–16, प्रतिशत 6.4 तथा नहीं कहने वालों की संख्या–9 प्रतिशत 3.6 है। महिलाओं की हां कहने वालों की संख्या 15 प्रतिशत 6, नहीं कहने वालो की संख्या 10 प्रतिशत 4 है।

तालिका क्र. 10

प्रश्न क्र.–10 क्या सूचना का अधिकार विशेष वर्ग तक सीमित है

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	05	2	07	2.8
2	नहीं	20	8	18	7.2
3	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि हाँ कहने वाले पुरुषों की संख्या 05 प्रतिशत 02 है तथा नहीं कहने वाले पुरुषों की संख्या 20 प्रतिशत है। जबकि हाँ कहने वाली महिलाओं की संख्या 07 प्रतिशत 2.8 तथा नहीं कहने वाली महिलाओं की संख्या 18 प्रतिशत 7.2 है।

तालिका क्रं. 11

प्रश्न क्र–11. सूचना का अधिकार आप नागरिकों की सूचना के प्रति जिम्मेदार
नागरिक बनाता है ।

क्र.	उत्तरदाता	पुरूष		महिला	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	10	4	12	4.8
2	नहीं	15	6	12	5.2
3	कुल	25	50	25	50

उक्त सारणी ने स्पष्ट है कि हाँ कहने वाले पुरुषौ की संख्या 10 प्रतिशत नहीं कहने वाले पुरुषों की संख्या 15 प्रतिशत 6 है। जबकि हाँ कहने वाली महिलाओं की संख्या 12 प्रतिशत 4.8 तथा नहीं कहने वाली महिलाओं की संख्या 13 प्रतिशत 5–2 है।

निष्कर्ष व सुझाव–

वर्तमान समय में सूचना के अधिकार – 2005 को लोक तेल में एक खूबसूरत नगीना के रूप में पहचाना जाता है। सरकार की लोक–कल्याणकारी योजनाओं का लाभ –लभार्थी तक सही ढंग से पहुंचाने में इसकी भूमिका अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। सरकारी तंब को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों में इस अधिकार के प्रति जागरूकता है। लोकतंत्र को पहले भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती थी और आम नागरिकों को सरकारी कार्यालय में कार्य कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सूचना का अधिकार आम नागरिको को लोकतांतिक तरीके से सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और व्यवहारिकता लाने के लिए इस अधिकार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

सुझाव –

1. सूचना का अधिकार – 2005 निम्न, मध्य लगों की पहुँच तक होना चाहिए। २. इसकी फीस अनिवार्य नहीं होनी चाहिए।
3. प्रिंट आउट की अपेक्षा सूचना का प्रसारण बेब–साइट पर करना चाहिए।
4. अपीलकर्त्ता को मानसिक और आर्थिक क्षति नहीं होनी चाहिए।
5. सरकार को आम नागरिकों तक इस अधिकार की जानकारी देना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, गाँव, शहर में इस फानून से सम्बंधित प्रतियोगिता, बाद–विवाद कराना चाहिए।
6. इस छान अधिकार से जुड़े कानून का प्रसारण संचार माध्यम से किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. सूचना का अधिकार– 2005, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्र. सं. 2011, पृ. 3
2. पुरी वी. के. सूचना का अधिकारः नाथि पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्र.सं. 2008 पृ.3
3. पांडे अजय– सूचना का अधिकार–प्रेरणा व अधिनियम, सोशल एक्शन ट्रस्ट पछिलकेशन, नई दिल्ली, प्र.सं. 2004, पृ.2
4. जैन. एन. के. सूचना का अधिकार', रीगल पब्लिकेश–स, नई दिल्ली, चु–से – 2007 है. पृ.2
5. सरदाना, जयबाला– लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियो, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर, जयपुर– प्र.सं. 2006, पृ.25
6. भारद्वाज रमाकांत– सूचना का अधिकार जनता का अधिकारी जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर प्र.स. 2007 पृ.166
7. पाण्डेय अजय– सूचना का अधिकार– प्रेरणा व अधिनियम, पृ.16